N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0102 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/04/2025 14:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 24/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 18:37 बजे **Time To (समय तक):** 16:26 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/04/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/04/2025 14:58:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** DUKAN/GUMTI STAMP VENDAR RATHAOR TYPAING THASIL KARYALA KE, BANYI SAIED KE MEN GATE KE PASS,, ASNAWAR JILA JHALAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** VEDPAL MEENA
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** ONKAR LAL
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 27/05/1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MUKAM POST THANAAVAD, AKLERA, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MUKAM POST THANAAVAD, AKLERA, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BASANT SINGH		पिता:RAJENDRA SINGH	1. GOGAMEDI,NOHAR,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA
2	GOPAL ROTHAR		पिता:MANOJ KUMAR	1. SBI BANK KE SAMANE MEN ROAD KE PASS,ASANAVAR,JHALAWAR,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2025 समय 06.37पीएम पर श्री गोपाल लाल सहायक उप निरीक्षक ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान को अवगत करवाया कि मेरे पास परिवादी श्री वेदपाल मीणा पुत्र श्री औंकार लाल मीणा जाति मीणा निवासी मुकाम पोस्ट थनावद तहसील अकलेरा जिला झालावाङ द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन कर बताया है कि मेरी बहन के नाम 18 बिस्वा कृषि भूमि खाङिया मील चौराहे के पास स्थित है, जिसको वह अपने पुत्र उत्तम मीणा के नाम दान पत्रिका कर रही है, जिसके सम्बंध में अपनी बहन पुष्पा को साथ लेकर तहसील असनावर में गया, वहां पर पटवारी बसंत जी से मिला ओर रजिस्ट्री के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तहसीलदार जी से बात कर बताता हूं, फिर उन्होंने मुझे बताया कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि अपना काम करवाने के लिए गोपाल राठौर ई-मित्र वालों से मिल लो। इस पर मैं गोपाल जी राठौर से मिला तो गोपाल राठौर ने कहा कि रजिस्ट्री के 40,000 रूपये लगेगें, जिसकी रसीद देगें और 20,000 रूपये अलग से लगेगें, जो कन्संट्रक्शन के होगें, जिस पर मैंने 40,000 रूपये दिनांक 21.04.2025 को दिये तो गोपाल जी राठौर हमारे फोटो वगैरा खींच लिये। उसके बाद गोपाल जी राठौर ने कहा कि तहसीलदार साहब व पटवारी जी 60,000 रूपये बता रहे है, लेकिन मैंने तहसीलदार जी से बात करी है, तो पटवारी और तहसीलदार जी दोनों कन्संट्रक्शन के लिए राजी कर लिया है। ऊपर-ऊपर ही 20,000 रूपये देने के लिए कहा है, जिस पर मैंने हां कर, जिसमें से मैंने दिनांक 22.04.2025 को मेरी बहिन के मोबाईल से गोपाल राठौर जी के मोबाईल पर 15,000 रूपये फोन-पे कर दिये थे तथा शेष 5,000 रूपये आज-कल में देने को कहा है। मेरे आवश्यक कार्य होने से झालावाङ नहीं आ सकता हूं। मैं कल आपको असनावर मिल जाऊंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री गोपाल लाल सहायक उपनिरीक्षक को कल दिनांक 23.04.2025 को कार्यालय से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर असनावर जाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 23.04.2025 समय 11.00 एएम पर श्री शिवराज कानि. नं. 166 कार्यवाहक मालखाना प्रभारी से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल सउनि के सामने चैक किया जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA)डालकर श्री गोपाल लाल सउनि को सुपुर्द कर असनावर जाकर परिवादी श्री वेदपाल मीणा से सम्पर्क कर आरोपीगणों की परिवादी से उसके कार्य के सम्बंध में रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश देकर असनावर के लिए रवाना किया। समय 02.00 पी.एम. पर श्री गोपाल लाल सहायक उप निरीक्षक एवं परिवादी श्री वेदपाल मीणा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये एवं मन् पुलिस निरीक्षक को श्री गोपाल लाल सउनि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA) पेश किया एवं बताया कि यह परिवादी श्री वेदपाल मीणा है। इस पर श्री वेदपाल मीणा ने स्वयं का हस्तलिखित एक प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकङवाने बाबत् पेश किया और बताया कि श्री गोपाल लाल जी मुझे असनावर बस स्टेण्ड पर मिल गये थे, उन्होंने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने का तरीका समझाकर सुपुर्द किया। तहसीलदार एवं पटवारी बसंत जी से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार मैं गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक की दुकान पर पहुंचा। मेरे पीछे-पीछे श्री गोपाल लाल जी भी कुछ दूरी बनाकर चलते रहे थे। मैं श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक की दुकान पर पहुंचा वह वहां नहीं थे, इस पर मैं श्री गोपाल लाल जी के पास पहुंचा और उनको बताया कि श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक अभी दुकान पर नहीं है, इस पर मैंने उनसे कहां गोपाल जी राठौर के मोबाईल नम्बर मेरे पास है, वह मुझसे मोबाईल पर भी बात कर लेता है। इस पर श्री गोपाल लाल जी और मैं वहां से रवाना होकर नदी की पुलिया के पास हनुमान जी के मन्दिर के पास पहुंचे। मैंने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] का स्पीकर ऑन कर श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर वार्ता की है, जिसको गोपाल जी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। मैंने उन्हे 15,000 रूपये पूर्व में मेरी बहिन के मोबाईल से फोन-पे कर दिये थे, बाकी के 5,000 रूपये मैंने आज-कल में देने के लिए कहा है। इस पर गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक ने हां कर दी है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो, परिवादी श्री वेदपाल मीणा के कथनों की पुष्टि हुई। श्री गोपाल लाल सउनि से पूछा गया तो उन्होंने परिवादी श्री वेदपाल मीणा द्वारा

बताये गये कथनों को सही होना बताया। परिवादी ने श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक से वार्ता की है, पूर्व में उसने तहसीलदार व पटवारी श्री बसंत कुमार से रिश्वत की मांग के सम्बंध में वार्ता होना बताया है। परन्तु उनकी वार्ता रिकॉर्ड नहीं हुई है। श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक प्राईवेट व्यक्ति है। अतः परिवादी को पुनः असनावर भिजवाकर आरोपीगण श्री बसंत कुमार पटवारी एवं तहसीलदार से रिश्वत मांग की सत्यापन वार्ता करवाई जावेगी। परिवादी श्री वेदपाल मीणा पुत्र औंकार लाल जाति मीणा उम्र 48 साल निवासी मुकाम पोस्ट थनावद तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ द्वारा पूर्व में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के नाम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् लिखित प्रार्थना पत्र कार्यालय में मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया, जो निम्न प्रकार है कि मेरी बहन के नाम 18 बिस्वा कृषि भूमि है जो खाड़िया मील चौराहे के पास है, मैन रोड़ पर स्थित है, जिसको वह अपने पुत्र उत्तम मीणा के नाम दान पत्रिका करवा रही है, जिसके सम्बंध में अपनी बहन पुष्पा को साथ लेकर तहसील असनावर में गया, वहां पर पटवारी बसंत जी से मिला ओर रजिस्ट्री के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तहसीलदार जी से बात करता हूं और बात करके बताया कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि अपना काम करवाने के लिए गोपाल जी राठौर ई-मित्र वालों से मिल लो। इस पर मैं गोपाल जी राठौर से मिला तो गोपाल राठौर ने कहा कि रजिस्ट्री के 40,000 रूपये लगेगें, जिसकी रसीद देगें और 20,000 रूपये अलग से लगेगें, जो कन्संट्रक्शन के होगें, जिस पर मैंने 40,000 रूपये दिनांक 21.04.2025 को दिये तो हमारा फोटो वगैरा खींच लिये। उसके बाद गोपाल राठौर ने कहा कि तहसीलदार साहब व पटवारी श्री बसंत जी 60,000 रूपये बता रहे है, लेकिन मैंने तहसीलदार जी से बात की है, तो पटवारी और तहसीलदार श्री रतन लाल जी दोनों को कन्संट्रक्शन के लिए राजी किया है। ऊपर-ऊपर ही 20,000 रूपये देने के लिए कहा, जिस पर मैंने हां कर ली, जिसमें से मैंने 15,000 रूपये मैंने मेरी बहिन के मोबाईल नम्बर [redacted] से गोपाल राठौर के फोन-पे नम्बर [redacted] पर 22.04.2025 को समय 3.55 पीएम पर डाले, और शेष 5,000 रूपये आज-कल में देने को कहा था। अतः श्रीमान मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। इन तीनों को मैं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। अतः उक्त तीनों से मेरी कोई उधारी बकाया नहीं, ना ही कोई रंजिश है। अतः श्रीमान से निवेदन करता हूं कि उपरोक्त रिपार्ट पर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। मेरी बहिन पुष्पा द्वारा एसीबी में कार्यवाही करवाने के लिए मुझे अधिकृत किया है। परिवादी श्री वेदपाल मीणा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाप्त एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया गया है। परिवादी की आरोपीगण श्री रतनलाल तहसीलदार व श्री बसंत कुमार पटवारी से रिश्वत मांग की पुनः वार्ता करवाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। फर्द प्राप्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। हालात श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो कोटा देहात अतिरिक्त चार्ज भ्रनिब्यूरो झालावाड़ को अर्ज किये गये। समय 05.00 पीएम पर परिवादी के बताये अनुसार कल दिनांक 24.04.2025 को ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना है। अतः दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ को जरिये मोबाईल बताकर कार्यालय पत्रांक 362 दिनांक 23.04.2025 मुर्तिब कर श्री गोपाल लाल सउनि को पत्र देकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ गवाहान को पाबन्द करवाने हेतु रवाना किया गया। समय 05.50 पीएम पर श्री गोपाल लाल सउनि ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ का जारी शुदा पत्र क्रमांक 422 दिनांक 23.04.2025 से श्री कुलदीप सेन पुत्र श्री खेमराज सेन जाति नाई उम्र 35 साल निवासी झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री शिवचन्द मीणा पुत्र श्री रामभरोस मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी ग्राम गाडरवाड़ा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ मोबाईल नम्बर [redacted] को स्वतंत्र गवाह मनोनित करने का पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया, जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी के समक्ष दोनों स्वतंत्र गवाह के कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री वेदपाल मीणा पुत्र श्री औकार लाल जाति मीणा उम्र 48 साल निवासी मुकाम पोस्ट थनावद तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राज0 की श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक, पटवारी श्री बसंत कुमार व तहसीलदार कार्यालय तहसील असनावर जिला झालावाड़ से पुनः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन के दौरान होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चैक कर उसमें मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA) डालकर परिवादी श्री वेदपाल मीणा को डीवीआर ऑपरेटिंग का तरिका समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में आरोपीगण से रिश्वत मांग के सम्बंध में स्पष्ट वार्ता करने तथा दौराने वार्ता को डिजिटल वाईस में रिकॉर्ड करने की समझाईस कर कार्यालय के श्री गोपाल लाल सउनि के साथ आवश्यक हिदायत देकर असनावर की और रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.30 पीएम पर श्री गोपाल लाल सहायक उप निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP

BL MADE IN CHINA) के सुपुर्द किया एवं बताया की मैं व परिवादी श्री वेदपाल मीणा झालावाड़ से रवाना होकर आरोपी पटवारी श्री बसंत कुमार के घर असनावर पहुंचे, जहां पर पटवारी नहीं मिला तो परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से पटवारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दो बार कॉल किया, परन्तु पटवारी द्वारा कॉल अटेंड नहीं किया गया। काफी समय तक पटवारी के निवास के बाहर रूककर इंतजार किया पटवारी के नहीं आने पर मैंने परिवादी को रूखसत कर असनावर से रवाना होकर कार्यालय में आया। शिकायत के आरोपीगण पटवारी व तहसीलदार के रिश्वत मांग की वार्ता नहीं हो पायी है, आईन्दा पुनः आरोपीगणों से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। फर्द प्राप्ती डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 24.04.2025 समय 10.30 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहानकार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ से कार्यालय में उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम कुलदीप सेन पुत्र श्री खेमराज सेन जाति नाई उम्र 35 साल निवासी झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ मोबाईल नम्बर [redacted] व दूसरे ने अपना नाम शिवचन्द मीणा पुत्र श्री रामभरोस मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी ग्राम गाडरवाड़ा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा समझाईस कर कार्यालय में बैठाया गया। समय 10.50 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री वेदपास मीणा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि वह अपने साथ कल दिनांक 23.04.2025 को श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक से हुई रिश्वत राशि मांग अनुसार 5,000 रूपये लेकर आया है। श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक ने 5,000 रूपये देने के लिए कहा था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सेन कनिष्ठ सहायक व श्री शिवचंद मीणा कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री वेदपाल मीणा द्वारा दिनांक 23.04.2025 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढकर सुनाया गया। इस पर दो स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमती दी। समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री देवपाल मीणा व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सेन कनिष्ठ सहायक व श्री शिवचन्द मीणी कनिष्ठ लेखाकार की मौजुदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में अलमारी से सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकालकर उसके बार में दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि दिनांक 23.04.2025 को परिवादी श्री वेदपाल मीणा एवं आरोपी श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक के मध्य जरिये मोबाईल रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन वार्ता हो चुकी है, जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA)की फाईल नम्बर 250423-1318-01 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी अवधि 01 मिनट 23 सेकण्ड की है। दिनांक 23.04.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री शीशराम कानि. नं. 126 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाकर दो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री वेदपाल मीणा के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया। उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री वेदपाल मीणा ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक की होना बताया। वार्ता की हुवहु लेपटाप से टाईप कर फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री शीशाराम कानि. नं. 126 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 12.30 पीएम परिवादी श्री वेदपाल मीणा ने दोनों स्वतंत्र श्री कुलदीप सेन कनिष्ठ सहायक व श्री शिवचन्द मीणा कनिष्ठ लेखाकार के समक्ष अपने पास से आरोपी श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक तहसील कार्यालय असनावर जिला झालावाड़ की मांग अनुसार उसे देने हेतु शेष रिश्वत राशि के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये, जिसके नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाया तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उनके द्वारा ही 5,000 रूपये रिश्वत राशि के नोट पर फिनोलफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोट पर पाउडर की मौजुदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री कुलदीप सेन कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री वेदपाल मीणा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नही रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री वेदपाल मीणा की पहनी हुई पेंट साईड की दाहिनी जेब में रखवाई गई। परिवादी हिदायत दी गई कि वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वत राशि उसे देवें। रिश्वत राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलावें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि

आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के पश्चात रिश्वत राशि कहा रखता अथवा छुपाता है का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं से सिर पर दोनों हाथ फेरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकी मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेनदेन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतंत्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुए रिश्वती लेनदेन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि. से ही मालखाना में रखवाया गया एवं साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास में उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सेन कनिष्ठ सहायक व श्री शिवचन्द मीणा कनिष्ठ लेखाकार एवं परिवादी श्री देवपाल मीणा को दृष्टांत देकर समझाईस की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोलफ्थलीन पाउडर उक्त नोटों के हाथ लगाने या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियन कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोलफ्थलीन पाडर उक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को फिनोलफ्थलीन पाडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्याति को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि. एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री वेदपाल मीणा को सुपुर्द किया गया। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टांत मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान संबंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 03.40 पीएम पर परिवादी श्री वेदपाल मीणा ने बताया कि श्री गोपाल राठौर जी की ई-मित्र की दुकान में ही पटवारी बसंत जी व गोपाल राठौर जी दोनों बैठे हुए है, जो मुझसे शेष रिश्वत राशि 5,000 रूपये पूर्व में हुई वार्ता अनुसार ले सकते है। इस पर परिवादी श्री वेदपाल मीणा को उसके चौपहिया वाहन से असनावर की और रवाना किया तथा परिवादी के पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सेन व श्री शिवचंद मीणा व एसीबी जाब्ता श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री शीशराम कानि. 126 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री छोटूलाल कानि. 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के व श्री गोपाल लाल सउनि मय एसीबी जाब्ता श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि. 166 मय प्राईवेट वाहन के बजानिब असनावर की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को चौकी हाजा पर निगरानी हेतु छोड़ा गया। समय 04.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सेन व श्री शिवचन्द मीणा एवं एसीबी जाब्ता श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री शीशराम कानि. 126 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री छोटूलाल कानि. 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के व श्री गोपाल लाल सउनि मय एसीबी जाब्ता श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि. 166 मय प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से रवाना होकर तहसील कार्यालय असनावर के नजदीक रूके। परिवादी श्री वेदपाल मीणा भी अपने चौपहिया वाहन से मेरे पास आया। परिवादी श्री वेदपाल मीणा को पुनः समझाईस कर आरोपी की दुकाननुमा ऑफिस के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों वाहनों को साईड में खड़ा करवाकर वाहनों से उतरकर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के दुकाननुमा (गुमटी) राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड के मैन गेट के पास, असनावर से कुछ दूरी पर जहां से दुकाननुमा (गुमटी) राठौर टाईपिंग दिखायी दे रही थी, उस स्थान पर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाया तथा परिवादी श्री वेदपाल मीणा के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। समय 04.26 पीएम पर परिवादी श्री वेदपाल मीणा ने दुकान (गुमटी) राठौर टाईपिंग से श्री गोपाल ला सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा किया, जिस पर श्री गोपाल लाल सउनि ने मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत राशि लेनदेन का ईशारा किया इस पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ते को अपने पीछे-पीछे आने का ईशारा कर राठौर टाईपिंग दुकाननुमा गुमटी के अन्दर परिवादी के पास पहुंचा। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा। परिवादी ने दुकाननुमा गुमटी में कम्प्यूटर रखे टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि मैंने अभी-अभी बाकी के 5,000 रूपये रिश्वत राशि श्री गोपाल राठौर को दिये है, जो इन्होने अपनी पहनी हुई नीले रंग की जिन्स की पेंट की बायीं साईड की जेब में रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उस व्यक्ति को अपना नाम व पद का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोपाल राठौर पुत्र श्री मनोज कुमार राठौर जाति तैली उम्र 26

साल निवासी एसबीआई बैंक के सामने मैन रोड के पास, असनावर जिला झालावाड़ हाल दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर नम्बर 94/2022 राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड मैन गेट के पास, असनावर जिला झालावाड़ (राज0) तथा पास में बैठे से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बसंतसिंहपुत्रश्रीराजेन्द्रसिंहजातिराजपूतउम्र30 सालनिवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल डूंगरगांव तहसील असनावर जिला झालावाड़ व तीसरे व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री अमीत कुमार पटवारी पटवार हल्का पनवासा तहसील असनावर जिला झालावाड़ का होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने अभी-अभी परिवादी से लिये 5,000 रूपये के बारे में श्री गोपाल राठौर से पूछा तो वह थोड़ा घबरा गया तथा तस्सली देकर पुनः पूछने पर बताया कि श्री वेदपाल जी की जमीन पर हो रहे कन्सट्रक्शन पर डीएलसी दर नहीं लगवाने की एवज में 5,000 रूपये लिये है, जो मैंने मेरे लिए ही लिये है। इस पर परिवादी श्री वेदपाल मीणा मे पूछने पर आरोपी श्री गोपाल राठौर की बात खण्डन करते हुए बताया कि मेरी बहिन के बेटे उत्तम मीणा के नाम दान पत्रिका करवाने के लिए पटवारी जी बसंत सिंह जी से सम्पर्क किया तो पटवारी जी ने बोला कि मैं तहसीलदार जी रतन लाल जी मे सम्पर्क करके आता हूं। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे बताया कि तहसीलदार जी ने तो 30,000 रूपये का बोला है, बाकी आप गोपाल जी राठौर से मिलो, उनको बता दूंगा मैं, इस पर मैं गोपाल जी राठौर से मिला तो गोपाल जी राठौर ने बताया कि 20,000 रूपये में फाईनल करो कृषि भूमि पर कन्सट्रक्शन कार्य की रसीद नहीं काटेगें, इससे कम नहीं होगा। इस पर मैंने दिनांक 22.04.2025 को समय 04.08 पीएम पर मेरी बहिन पुष्पा मीणा के फोन नम्बर [redacted] से गोपाल राठौर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर 15,000 रूपये फोन-पे किया था। बाकि के शेष 5,000 रूपये पास ही बैठे पटवारी श्री बसंत सिंह जी के सामने दिये है। इस पर पुनः श्री गोपाल राठौर से पूर्व में परिवादी से 15,000 रूपये फोन-पे करवाने के सम्बंध में पूछा गया तो रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गोपाल राठौर ने बताया कि मैंने 15,000 रूपये फोन-पे से लिये थे, जो अभी भी मेरे पास ही है। मैं उनमें से श्रीमती पुष्पा मीणा के कृषि भूमि की कन्सट्रक्शन की रसीद नहीं काटने के एवज में 10,000 रूपये तहसीलदार जी को व 4,000 रूपये पटवारी जी को देता। कुछ समय पश्चात् सोच विचार कर पुनः आरोपी श्री गोपाल राठौर ने बताया कि मैंने 15,000 रूपये में से 10,000 रूपये तहसीलदार जी को व 4,000 रूपये पटवारी जी को दे दिये हैं। इस पर श्री गोपाल राठौर के मोबाईल नम्बर [redacted] मे तहसीलदार श्री रतन लाल भील के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री गोपाल राठौर ने कहा कि सर बो रजिस्ट्री कराई थी ना अपन ने पुष्पा मीणा डूंगरगांव की उसका पेमेंट आ गया, इस पर तहसीलदार श्री रतनलाल भील ने कहा कौनसा पेमेंट मेरे यार समझ में नहीं आ रहा, कौनसा पेमेंट आया, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा मामला कहकर अनभिज्ञता जाहिर की। परिवादी के प्रार्थना पत्र से व आरोपी गोपाल राठौर व तहसीलदार की मोबाईल ट्रांसक्रिप्ट वार्ता में हालांकी तहसीलदार श्री रतन लाल भील ने रिश्वत लेने के मामले में अनभिज्ञता जाहीर की है, परन्तु आरोपी श्री गोपाल राठौर ने अपने स्पष्टीकरण में 10,000 रूपये तहसीलदार को देना बताया है, जिससे उक्त मामले में तहसीलदार श्री रतनलाल भील की संदिग्ध भूमिका व संलिप्तता प्रतीत होती है, जिससे उक्त मामले में तहसीलदार श्री रतनलाल भील की संदिग्ध भूमिका व संलिप्तता प्रतीत होती है, जिसके बारे में अलग से अनुसंधान किया जाना उचित होगा। परिवादी ने ब्यूरो में पेश प्रार्थना पत्र में आरोपी बसन्त सिंह पटवारी से सम्पर्क किये जाने का उल्लेख किया है, जिसमें आरोपी बसंत सिंह पटवारी ने परिवादी से कहा कि मैं तहसीलदार जी रतन लाल जी से सम्पर्क करके आता हूं, कुछ समय बाद उन्होने परिवादी को बताया कि तहसीलदार जी ने ता 30,000 रूपये का बोला है, बाकी आप गोपाल जी राठौर से मिलो उनको बता दूंगा मैं, इस पर परिवादी, आरोपी गोपाल राठौर से मिला तो गोपाल राठौर ने बताया कि 20,000 रूपये में फाईनल करो कन्सट्रक्शन कार्य की रसीद नहीं काटेगें इससे कम नहीं होगा। इस पर मैंने दिनांक 22.04.2025 को समय 04.08 पीएम पर मेरी बहिन पुष्पा मीणा के फोन नम्बर [redacted] से गोपाल राठौर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर 15,000 रूपये फोन-पे किया था। बाकि के शेष 5,000 रूपये पास ही बैठे पटवारी श्री बसंत सिंह जी के समाने दिये है। इस पर पुनः श्री गोपाल राठौर से पूर्व में परिवादी से 15,000 रूपये फोन-पे करवाने के संबंध में पूछा गया तो रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गोपाल राठौर ने बताया कि मैंने 15,000 रूपये फोन-पे से लिये थे, जो अभी भी मेरे पास ही है। मैं उनमें से श्रीमती पुष्पा मीणा के कन्सट्रक्शन की रसीद नहीं काटने के एवज में 10,000 रूपये तहसीलदार जी को व 4,000 रूपये पटवारी जी को देता। कुछ समय पश्चात् सोच विचार कर पुनः आरोपी श्री गोपाल राठौर ने बताया कि मैंने 15,000 रूपये में से 10,000 रूपये तहसीलदार जी को व 4,000 रूपये पटवारी जी को दे दिये हैं। इस पर श्री गोपाल राठौर के मोबाईल नम्बर [redacted] से तहसीलदार श्री रतन लाल भील के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री गोपाल राठौर ने कहा कि सर वो रजिस्ट्री कराई थी ना अपन ने पुष्पा मीणा डूंगरगांव की उसका पेमेंट आ गया, इस पर तहसीलदार श्री रतनलाल भील ने कहा कौनसा पेमेंट मेरे यार समझ में नहीं आ रहा, कौनसा पेमेंट आया, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा मामला कहकर अनभिज्ञता जाहिर की। इस पर श्री गोपाल राठौर के पास बैठे व्यक्ति पटवारी श्री बसंत सिंह से पूछा गया तो पटवारी बसंत सिंह ने बताया कि मैंने ना तो श्री वेदपाल जी को श्री गोपाल राठौर को पैसे देने के लिए कहा है और ना ही मैंने श्री गोपाल राठौर व श्री वेदपाल जी से पैसे लिये है। श्री वेदपाल जी व श्री गोपाल राठौर जी मेरा झूठा नाम लगा रहे है। मैंने श्री वेदपाल जी की बहिन पुष्पा मीणा के नाम धारा 90ए की

कार्यवाही की थी तता जुर्माना रसीद भी काटी थी, जिस कारण श्री वेदपाल जी मेरा झूठा नाम ले रहे है। मैं श्री गोपाल राठौर जी की गुमटी पर इंतकाल ऑन लाईन करवाने व धारा 136 की फॉर्म की प्रिंट लेने के लिए आया था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सेन से आरोपी श्री गोपाल राठौर की तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी निली जिन्स की पेंट की साईड की बायीं जेब में से 500-500 रूपये के नोटों की थेई मिली, जिसको दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री शिवचन्द मीणा को फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट में अंकित रिश्वत राशि 5,000 रूपये के 500-500 रूपये के नोटों के नम्बरों से मिलान करवाने हेतु निर्देशित किया तो उन्होने फर्द से नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु 5,000 रूपये होना बताया, जो निम्न प्रकार है - 1. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 0LH 804100 2. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 8VV550001 3. एक नोट 500 रूपये का नम्बर3FK3 24474 4. एक नोट 500 रूपये का नम्बर2DL 338019 5. एक नोट 500 रूपये का नम्बर0CR 837325 6. एक नोट 500 रूपये का नम्बर8DE 107879 7. एक नोट 500 रूपये का नम्बर1KW 951221 8. एक नोट 500 रूपये का नम्बर8TT 492617 9. एक नोट 500 रूपये का नम्बर2CR 67504810. एक नोट 500 रूपये का नम्बर4SU 745329उक्त सभी 500-500 रूपये के 5,000 रूपये रिश्वत राशि को एक कागज के लिफाफे में रखवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गई। इसके उपरान्त दो डिस्पोजल गिलासों में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का घोल रंगहीन रहा, उक्त रंगहीन घोलों में अलग-अलग डिस्पोजल गिलासों में आरोपी श्री गोपाल राठौर का बायां एवं दाहिना हाथों की अगूंलियों व अगूंठों को बारी-बारी से अलग-अलग धोवनों में डुबोकर धुलवाया गया तो दोनों धोवनों के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो-दो अलग-अलग कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट मोहर किया जाकर दाहिने हाथ के धोवन की शीशियों पर मार्क आरएच-1, आरएच-2 व बांये हाथ के धोवन की शीशियों पर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। श्री गोपाल राठौर को निर्देशितकर अलग से एक पेन्ट मंगवाई गई। श्री गोपाल राठौर की पहनी पेंट को उतरवाकर दूसरी पेंट पहनाई गई तथा उतरवाई गई नीले रंग की जिन्स की पेंट की साईड की बायीं जेब जिसमें रिश्वत राशि 5,000 रूपये बरामद हुई थी, उक्त जेब को उल्टवाकर एक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर पेन्ट की जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे भी दो कांच की अलग-अलग शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1 , पी-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। पेन्ट को पंखे की हवा में सुखोकर पेंट की जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थेली में रखकर सील चिट मोहर कर मार्क-पी अंकित कर पेकिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी की बहिन द्वारा अपने पुत्र के नाम खाता नम्बर 315 कुल किता 5 कुल रकबा 1.8429 हैक्टेयर आराजी भूमि में सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 की दानपत्र आराजी की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित शुदा प्राप्त करने हेतु श्री शीशराम कानि. नं. 126 को भेजा गया, जो प्रमाणित शुदा दस्तावेज प्राप्त कर लाया, जिनको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। धोवन में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को नष्ट करवाया गया। रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये बरामद करते समय व हाथ धुलाई, पेन्ट धुलाई की कार्यवाही के समय श्री शीशराम कानि. नं. 126 से जरिये मोबाईल बीडियोग्राफी करवाई गई, जिसकी पृथक से जरिये लेपटॉप डीवीडी तैयार करवाई जायेगी। फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की विस्तृत फर्द तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 06.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में परिवादी श्री वेदपाल मीणा की निशानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सेन व श्री शिवचन्द मीणा के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल कशीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, नक्शा मौका हाजरीन को दिखाया व समझाया गया, जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मूर्तिबशुदा नक्शा घटनास्थल को शामिल पत्रावली किया गया । समय 06.50 पीएम पर परिवादी श्री वेदपाल मीणा व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सेन व श्री शिवचन्द मीणा की मौजुदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर दिनांक 24.04.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री वेदपाल मीणा की आरोपीगण श्री गोपाल राठौर स्टाम्प वेंडर व श्री बसंत सिंह पटवारी के मध्य आरोपी की दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड के मैन गेट के पास, असनावर में वार्ता हुई थी। उक्त वार्तालाप को परिवादी को सुपुर्द ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA)की फाईल नम्बर 250424-1620 में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी अवधि 08 मिनट 10 सेकेंड की है। अतः उक्त वार्तालाप को श्री देवदान सिंह कानि. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी वेदपाल मीणा के समक्ष वार्ता को स्पीकर ऑन कर सुनाया गया तो, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री वेदपाल मीणा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री गोपाल राठौर व तीसरी आवाज श्री बसंत सिंह पटवारी की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितों के अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 08.00 पीएम पर आरोपी श्री गोपाल राठौर स्टाम्प

वेंडर के मोबाईल नम्बर [redacted] से तहसीलदार श्री रतनलाल भील के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाकर वार्ता दिनांक 24.04.2025 को परस्पर आरोपी की दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड के मैन गेट के पास, असनावर में वार्तालाप करवाई गई थी, को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA) की फाईल नम्बर 250424-1638 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी अवधि 01 मिनट 14 सेकेण्ड की है। उक्त रिकॉर्डेड मोबाईल वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटॉप में लिया जाकर वार्ता को सुना गया, वार्ता में हुई आवाजों की पहचान आरोपी श्री गोपाल राठौर व उपस्थित हाजरिन द्वारा की गई उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में आरोपी श्री गोपाल राठौर द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज श्री रतन लाल भील तहसीलदार असनावर की होना सुनकर पहचान कर बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन के समय मोबाईल पर हुई वार्ता मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितों के अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 08.30 पीएम पर दिनांक 23.04.2025 को परिवादी श्री वेदपाल मीणा एवं आरोपी श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में असनावर नदी की पुलियां के पास हनुमान मंदिर से परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] का स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री गोपाल राठौर ई-मित्र संचालक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर वार्ता की, जिसको श्री गोपाल लाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA) की फाईल नम्बर 250423-1318-01 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी अवधि 01 मिनट 23 सेकेंड की है, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.04.2025 को समय 11.00 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 24.04.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री वेदपाल मीणा एवं आरोपीगण श्री गोपाल राठौर हाल दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड मैन गेट के पास, असनावर जिला झालावाड़ (राज0) तथा श्री बसंत सिंह हाल पटवारी पटवार मण्डल डूंगरगांव कार्यालय तहसील असनावर जिला झालावाड़ के मध्य रिश्वत लेनदेन के संबंध में आरोपी की दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड के मैन गेट के पास, असनावर में हुई वार्तालाप को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA) की फाईल नम्बर 250424-1620 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी अवधि 08 मिनट 10 सेकेण्ड की है, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 24.04.2025 को समय 06.50 पीएम पर तैयार की गई थी एवं दिनांक 24.04.2025 को आरोपी श्री गोपाल राठौर स्टाम्प वेंडर के मोबाईल नम्बर [redacted] से तहसीलदार श्री रतनलाल भील के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाकर वार्ता आरोपी की दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बांयी साईड के मैन गेट के पास, असनावर में वार्तालाप करवाई गई थी, को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA)की फाईल नम्बर 250424-1638 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी अवधि 01 मिनट 14 सेकेण्ड की है, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन के समय मोबाईल पर हुई वार्ता दिनांक 24.04.2025 को समय 08.00 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त तीनों वार्ताऐं दो अलग-अलग मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड थी, उक्त मेमोरी कार्डो को बारी-बारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगाकर कार्यालय लेपटॉप में लेकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 के द्वारा लेपटॉप में डीवीडीयां लगाकर ब्रन कराकर पांच क्लोनिंग डीवीडीयां तैयार करवायी गयी। पांच डीवीडीयों व मेमोरी कार्डस की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा पाचों डीवीडीयों में से एक डीवीडी आरोपी श्री गोपाल राठौर के लिये, एक डीवीडी आरोपी श्री बसंत सिंह के लिये, एक डीवीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक डीवीडी माननीय न्यायालय हेतु कपडे की थेली में अलग-अलग रखकर चारों डीवीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर खुली रखी गयी तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA) की फाईल नम्बर 250423-1318-01 में रिकॉर्ड वार्ता तथा वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता व रिश्वत लेनदेन के समय मोबाईल पर हुई वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOUP BL MADE IN CHINA) की फाईल नम्बर 250424-1620 व 250424-1638 में रिकॉर्ड वार्ता थी, उक्त मेमोरी कार्डस को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक-पृथक कपडे की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया तथा फर्द बरामदगी के समय आरोपी की हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि जब्ती के दौरान श्री शीशराम कानि. 126 द्वारा मोबाईल से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को लेपटॉप में जोड़कर दो डीवीडी तैयार करवाई गई, जिसमें से एक माननीय न्यायालय के लिये कपडे की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर खुली रखी गई। तत्पश्चात् खाना तलाशी के दौरान श्री शीशराम कानि. 126 द्वारा मोबाईल से वीडीयों रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को लेपटॉप में जोड़कर दो डीवीडी तैयार करवाई गई, जिसमें से एक माननीय न्यायालय के लिये कपडे की थेली में रखकर सील मोहर की

गई तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए सुनने हेतु तैयार कर खुली रखी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द डीवीडी क्लोनिंग एवं जब्ती मय मेमोरी कार्ड पृथक से तैयार करवाकर शिल्ड शुदा डीवीडीयों व मेमोरी कार्ड तथा फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गई। समय 09.00 पीएम पर आरोपी श्री गोपाल राठौर हाल दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड मैन गेट के पास, असनावर जिला झालावाड़ (राज0) को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 23.04.2025 को परिवादी श्री वेदपाल मीणा द्वारा असनावर नदी की पुलिया के पास हनुमान मंदिर से परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] का स्पीकर ऑन कर आपके मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर वार्ता की थी, जिसको एसीबी के श्री गोपाल लाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के समय रिकॉर्ड किया गया था तथा दिनांक 24.04.2025 को दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड मैन गेट के पास, असनावर जिला झालावाड़ राज0 में वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री वेदपाल मीणा से आपकी वार्ता हुई थी, जिसको परिवादी श्री वेदपाल मीणा ने उसको एसीबी द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु आरोपी को जरिये फर्द प्राप्त नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो, आरोपी श्री गोपाल राठौर ने फर्द पर स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि मैं अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से नहीं देना चाहता अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 09.20 पीएम पर आरोपी श्री बसंत सिंह हाल पटवारी पटवार मण्डल डूंगरगांव तहसील असनावर जिला झालावाड़ को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 24.04.2025 को दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड मैन गेट के पास, असनावर जिला झालावाड़ राज0 में वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री वेदपाल मीणा से आपकी वार्ता हुई थी, जिसको परिवादी श्री वेदपाल मीणा ने उसको एसीबी द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु आरोपी को जरिये फर्द प्राप्त नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो, आरोपी श्री गोपाल राठौर ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि मैं अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से नहीं देना चाहता अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्त नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 09.40 पीएम पर आरोपी श्री गोपाल राठौर को जुर्म धारा 7,7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध होने से संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सेन से लिवायी गयी तो आरोपी के पास एक वीवी कम्पनी स्लेटी कलर का मोबाईल मिला, जिसमें डबल सिम [redacted], [redacted] है, जिसको कब्जे एसीबी लिया गया तथा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार चाचा श्री हरिओम राठौर को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 10.00 पीएम पर आरोपी श्री बसंत सिंह हाल पटवारी पटवार मण्डल डूंगरगांव तहसील असनावर जिला झालवाड़ को जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 के तहत दंडनीय अपराध होने से संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुए जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सेन से लिवायी गयी तो आरोपी के पास एक वन प्लस कम्पनी ग्रे कलर का मोबाईल मिला, जिसमें डबल सिम [redacted], [redacted] है, जिसको कब्जे एसीबी लिया गया तथा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिला। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार जरिये मोबाईल उसकी पत्नि श्रीमती शीतल को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 10.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् परिवादी श्री वेदपाल मीणा को मौके से रूखसत किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता के जब्त शुदा रिश्वत राशि, धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादी व गिरफ्तार शुदा आरोपीगण गोपाल राठौर, श्री बसंत सिंह मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से घटनास्थल से रवाना होकर आरोपी श्री बसंत सिंह के किराये का मकान एसबीआई बैंक के समाने असनावर के लिये रवाना हुआ। समय 10.20 पीएम पर आरोपी श्री बसंत सिंह के किराये के मकान एसबीआई बैंक के सामने असनावर पहुंचा, जहां मकान पर उसकी पत्नि मौजूद मिली जिसे की गई कार्यवाही के बारे में समझाईस की गई व मकान की खाना तलाशी लेने के बारे में बताया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री बसंत सिंह सहमति प्राप्त कर नियमानुसार खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। खाना तलाशी की श्री शीशराम कानि. नं. 126 द्वारा जरिये मोबाईल वीडियोग्राफी करवाई गई। खाना तलाशी में कोई संदिग्ध राशि एवं वस्तु, स्वर्ण आभूषण व बहुमूल्य दस्तावेज नहीं पाये। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति आरोपी श्री बसंत सिंह को निःशुल्क दी जावेगी। समय 10.40 पीएम पर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के जब्त शुदा रिश्वत राशि, धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादी व गिरफ्तार शुदा आरोपीगण

गोपाल राठौर, श्री बसंत सिंह मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 11.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण गोपाल राठौर, श्री बसंत सिंह व साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से बरामद शुदा रिश्वत राशि 5,000 रूपये का लिफाफा तथा धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादी कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री शिवराज कानि. नं. 166 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 22.04.2025 श्री गोपाल लाल सहायक उप निरीक्षक ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान को अवगत करवाया कि मेरे पास परिवादी श्री वेदपाल मीणा पुत्र श्री औंकार लाल मीणा जाति मीणा निवासी मुकाम पोस्ट थनावद तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन कर बताया है कि मेरी बहन के नाम 18 बिम्वा कृषि भूमि खाड़िया मील चौराहे के पास स्थित है, जिसको वह अपने पुत्र उत्तम मीणा के नाम दान पत्रिका कर रही है, जिसके सम्बंध में अपनी बहन पुष्पा को साथ लेकर तहसील असनावर में गया, वहां पर पटवारी बसंत जी से मिला ओर रजिस्ट्री के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तहसीलदार जी से बात कर बताता हूं, फिर उन्होंने मुझे बताया कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि अपना काम करवाने के लिए गोपाल राठौर ई-मित्र वालों से मिल लो। इस पर मैं गोपाल जी राठौर से मिला तो गोपाल राठौर ने कहा कि रजिस्ट्री के 40,000 रूपये लगेगें, जिसकी रसीद देगें और 20,000 रूपये अलग से लगेगें, जो कन्संट्रक्शन के होगें, जिस पर मैंने 40,000 रूपये दिनांक 21.04.2025 को दिये तो गोपाल जी राठौर हमारे फोटो वगैरा खींच लिये। उसके बाद गोपाल जी राठौर ने कहा कि तहसीलदार साहब व पटवारी जी 60,000 रूपये बता रहे है, लेकिन मैंने तहसीलदार जी से बात करी है, तो पटवारी और तहसीलदार जी दोनों कन्संट्रक्शन के लिए राजी कर लिया है तथा उन्होनें ऊपर-ऊपर ही 20,000 रूपये देने के लिए कहा है, जिस पर मैंने हां कर, दिनांक 22.04.2025 को मेरी बहिन के मोबाईल से गोपाल राठौर जी के मोबाईल पर 15,000 रूपये फोन-पे कर दिये थे तथा शेष 5,000 रूपये आज-कल में देने को कहा है। मेरे आवश्यक कार्य होने से मैं झालावाड़ नहीं आ सकता हूं। मैं कल आपको असनावर मिल जाऊंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री गोपाल लाल सहायक उप निरीक्षक को दिनांक 23.04.2025 को कार्यालय से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर असनावर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये। जिस पर श्री गोपाल लाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा असनावर जाकर परिवादी श्री वेदपाल मीणा से मिलकर उसके मोबाईल नम्बर [redacted] का स्पीकर ऑन कर श्री गोपाल राठौर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर वार्ता करवाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर परिवादी मय उसके प्रार्थना पत्र के साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थि आया। परिवादी श्री वेदपाल मीणा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त एवं रिश्वत सत्यापन वार्ता से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाये जाने पर दिनांक 24.04.2025 को ट्रेप कार्यवाही करने का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री गोपाल राठौर को उसकी दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड के मैन गेट के पास, असनावर में परिवादी से 5,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत राशि उसकी पहनी हुई नीले रंग की जिन्स की पेंट की बायीं जेब से बरामद की गई। आरोपी के दोनों हाथों व पहनी हुई नीले रंग की जिन्स की पेंट की साईड की बायीं जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से लिये 5,000 रूपये के बारे में श्री गोपाल राठौर से पूछा गया तो वह थोड़ा घबरा गया तथा तस्सली देकर पुनः पूछने पर बताया कि श्री वेदपाल जी की जमीन पर हो रहे कृषि भूमि पर कन्सट्रक्शन की डीएलसी दर नहीं लगवाने की एवज में 5,000 रूपये लिये है, जो मैंने मेरे लिए ही लिये है। इस पर परिवादी श्री वेदपाल मीणा से पूछने पर आरोपी श्री गोपाल राठौर की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मेरी बहिन के बेटे उत्तम मीणा के नाम दान पत्रिका करवाने के लिए पटवारी जी बसंत सिंह जी से सम्पर्क किया तो पटवारी जी ने बोला कि मैं तहसीलदार जी रतन लाल जी से सम्पर्क करके आता हूं। कुछ समय बाद उन्होने मुझे बताया कि तहसीलदार जी ने तो 30,000 रूपये का बोला है, बाकी आप गोपाल जी राठौर से मिलो, उनको बता दूंगा मैं, इस पर मैं गोपाल जी राठौर से मिला तो गोपाल जी राठौर ने बताया कि 20,000 रूपये में फाईनल करो कृषि भूमि पर कन्सट्रक्शन कार्य की रसीद नहीं काटेगें, इससे कम नहीं होगा। इस पर मैंने दिनांक 22.04.2025 को समय 04.08 पीएम पर मेरी बहिन पुष्पा मीणा के फोन नम्बर [redacted] से गोपाल राठौर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर 15,000 रूपये फोन-पे किया था। बाकि के शेष 5,000 रूपये पास ही बैठे पटवारी श्री बसंत सिंह जी के सामने दिये है। इस पर पुनः श्री गोपाल राठौर से पूर्व में परिवादी से 15,000 रूपये फोन-पे करवाने के सम्बंध में पूछा गया तो रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गोपाल राठौर ने बताया कि मैंने 15,000 रूपये फोन-पे से लिये थे, जो अभी भी मेरे पास ही है। मैं उनमें से श्रीमती पुष्पा मीणा के कृषि भूमि की कन्सट्रक्शन की रसीद नहीं काटने के एवज में 10,000 रूपये तहसीलदार जी को व 4,000 रूपये पटवारी जी को देता। कुछ समय पश्चात् सोच विचार कर पुनः आरोपी श्री गोपाल राठौर ने बताया कि मैंने 15,000 रूपये में से 10,000 रूपये तहसीलदार जी को व 4,000 रूपये पटवारी जी को दे दिये हैं। इस पर श्री गोपाल राठौर के मोबाईल नम्बर [redacted] से तहसीलदार श्री रतन लाल भील के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल

करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री गोपाल राठौर ने कहा कि सर वो रजिस्ट्री कराई थी ना अपन ने पुष्पा मीणा डूंगरगांव की उसका पेमेंट आ गया, इस पर तहसीलदार श्री रतनलाल भील ने कहा कौनसा पेमेंट मेरे यार समझ में नहीं आ रहा, कौनसा पेमेंट आया, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा मामला कहकर अनभिज्ञता जाहिर की। परिवादी के प्रार्थना पत्र से व आरोपी गोपाल राठौर व तहसीलदार की मोबाईल ट्रांसक्रिप्ट वार्ता में हालांकी तहसीलदार श्री रतन लाल भील ने रिश्वत लेने के मामले में अनभिज्ञता जाहीर की है, परन्तु आरोपी श्री गोपाल राठौर ने अपने स्पष्टीकरण में 10,000 रूपये तहसीलदार को देना बताया है, जिससे उक्त मामले में तहसीलदार श्री रतनलाल भील की संदिग्ध भूमिका व संलिप्तता प्रतीत होती है, जिससे उक्त मामले में तहसीलदार श्री रतनलाल भील की संदिग्ध भूमिका व संलिप्तता प्रतीत होती है, जिसके बारे में अलग से अनुसंधान किया जाना उचित होगा। परिवादी ने ब्यूरो में पेश प्रार्थना पत्र में आरोपी बसन्त सिंह पटवारी से सम्पर्क किये जाने का उल्लेख किया है, जिसमें आरोपी बसंत सिंह पटवारी ने परिवादी से कहा कि मैं तहसीलदार जी रतन लाल जी से सम्पर्क करके आता हूं, कुछ समय बाद उन्होने परिवादी को बताया कि तहसीलदार जी ने ता 30,000 रूपये का बोला है, बाकी आप गोपाल जी राठौर से मिलो उनको बता दूंगा मैं, इस पर परिवादी, आरोपी गोपाल राठौर से मिला तो गोपाल राठौर ने बताया कि 20,000 रूपये में फाईनल करो कृषि भूमि पर कन्सट्रक्शन कार्य की रसीद नहीं काटेगें इससे कम नहीं होगा तथा दिनांक 24.04.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी ने आरोपी बसन्त सिंह पटवारी के समक्ष आरोपी श्री गोपाल राठौर को 5,000 रूपये रिश्वत राशि के दिये तथा परिवादी ने आरोपी पटवारी से कहा था कि मैं बाकी के रूपये 5,000 लेकर आया हूं, जो आप दोनों ही आपस में ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस पर आरोपी पटवारी व गोपाल राठौर द्वारा परिवादी से कहा गया था कि कोई दिक्कत नहीं आयेगी, 90ए का नोटिस आयेगा बस इस प्रकार दोनों आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि लेने में अपनी सहमति जाहिर की गई जिसकी पुष्टी रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 24.04.2025 मे होती है। इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.04.2025, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 24.04.2025, मोबाईल वार्ता दिनांक 24.04.2025, फर्द बरामदगी दिनांक 24.04.2025 व आरोपी गोपाल राठौर के दोनों हाथों व पेंट के धोवनों व उपरोक्त कार्यवाही से आरोपीगणों के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण श्री बसंत सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल डूंगरगांव तहसील असनावर जिला झालावाड़ व श्री गोपाल राठौर पुत्र श्री मनोज कुमार राठौर जाति तैली उम्र 26 साल निवासी एसबीआई बैंक के सामने मैन रोड के पास, असनावर जिला झालावाड़ हाल दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड मैन गेट के पास, असनावर जिला झालावाड़के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय, (साजिद खान) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री साजिद खान,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झालावाड़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1. श्री बसंत सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल डूंगरगांव तहसील असनावर जिला झालावाड़ व 2-श्री गोपाल राठौर पुत्र श्री मनोज कुमार राठौर जाति तैली उम्र 26 साल निवासी एसबीआई बैंक के सामने मैन रोड के पास, असनावर जिला झालावाड़ हाल दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौर टाईपिंग तहसील कार्यालय के बायीं साईड मैन गेट के पास, असनावर जिला झालावाड़ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 406 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 582-85 दिनांक 27-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- जिला कलक्टर झालवाड 4-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ । उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/04/2025 15:...

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	03/07/1994				
2	Male	22/02/1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)